प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

21 जुलाई 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का युक्तिकरण – टिप्पणियों हेतु नियमों का मसौदा

वर्तमान में, भारत में किया जाने वाला विदेशी निवेश 'विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019' ('एनडीआई नियम') द्वारा शासित होता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन, उपयोगकर्ता-अनुकूल ढांचा बनाने हेतु एनडीआई नियमों की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई थी।

तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा विनियामकीय ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, और केंद्र सरकार तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने युक्तिसंगत नियमों का एक मसौदा तैयार किया है।

प्रस्तावित मसौदा नियमों की प्रमुख विशेषताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:

क) सरलीकृत और सिद्धांत-आधारित ढांचा: प्रावधानों का युक्तिकरण, परिभाषाओं का सामंजस्य और स्पष्टता बढ़ाने तथा विनियामकीय जटिलता को कम करने के लिए एक सरलीकृत विनियामकीय ढांचा।

ख) एफडीआई नीति के साथ संरेखण: नीतिगत और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं से प्रक्रियात्मक फेमा प्रावधानों का स्पष्ट सीमांकन, विनियामकीय सामंजस्य में सुधार करना और यथासमय नीतिगत परिवर्तन करना।

ग) कारोबार सुगमता: सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, अनुपालन संबंधी भार में कमी और एक पारदर्शी तथा निवेशक-अनुकूल विनियामकीय ढांचे के माध्यम से अधिक परिचालनगत नम्यता।

घ) भविष्य के लिए तैयार विनियामकीय ढांचा: आवश्यक विनियामकीय सुरक्षा उपायों को संरक्षित करते हुए, बदलती व्यावसायिक प्रथाओं के अनुरूप सिद्धांत-आधारित, निवेश-तटस्थ और निवेशक-तटस्थ प्रावधानों को अपनाना।

व्यापक जन-परामर्श के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) नियम, 2026 का मसौदा आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है।

उक्त नियमों के मसौदे पर, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत संबंधित हाइपरलिंक के माध्यम से; अथवा विषय पंक्ति 'विदेशी निवेश नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती हैं।

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/726

मुख्य महाप्रबंधक